



प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ/झांसी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2022

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-3842/यूपीडा/919/2022 दिनांक 24.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 15000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से जिलाधिकारी, लखनऊ को ₹0 21.1585 करोड़ तथा जिलाधिकारी, झांसी को ₹0 07.00 करोड़ अर्थात् कुल ₹0 28.1585 करोड़ (₹0 अट्ठाईस करोड़ पन्द्रह लाख पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृत करने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, लखनऊ तथा झांसी के डिजाजिट खाते में जमा की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण डिजाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (4) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-1375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 तथा इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या-2/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2021, दिनांक 10.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1 सं0-3/2021-बी- 1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-08/2022/395(1)/77-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) 30प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), 30प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ एवं झांसी।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त ई-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।